



संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/जीए&एचआर/सीआईआर/विविध/51/4/2026

06 अप्रैल, 2026

Ref No.: IRDAI/GA&HR/CIR/MISC/51/4/2026

06th Apr, 2026

प्रति/To,

सभी बीमाकर्ता, बीमा मध्यवर्ती और आईआईबी,

All Insurers, Insurance Intermediaries and IIB,

विषय: आईआरडीएआई सूचना और साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश, 2026

SUB: IRDAI Information and Cyber Security Guidelines, 2026

- आईआरडीएआई ने परिपत्र संदर्भ: आईआरडीएआई/जीए&एचआर/सीआईआर/विविध/88/04/2023 दिनांक 24 अप्रैल, 2023 के अनुसार विनियमित संस्थाओं के लिए सूचना और साइबर सुरक्षा संबंधी आईआरडीएआई दिशानिर्देश जारी किये हैं।
 - विकसित हो रहे आशंका परिदृश्य, उद्योग से प्राप्त प्रतिसूचना (फीडबैक) और विभिन्न आशंकाओं का सामना करने के लिए अपनी सुरक्षा व्यवस्था एवं संबंधित अभिशासन तंत्र को आगे और मजबूत करने हेतु बीमा उद्योग को समर्थ बनाने के लिए इसके द्वारा संशोधित दिशानिर्देश जारी किये जाते हैं।
 - उक्त दिशानिर्देशों में प्रमुख परिवर्तनों का संक्षिप्त सारांश अनुबंध-क के रूप में संलग्न है।
 - आईआरडीएआई सूचना और साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश, 2026 अनुबंध-ख के रूप में संलग्न हैं। ये दिशानिर्देश विनियमित संस्थाओं के द्वारा अपनाये जानेवाले न्यूनतम मानकों और अभिशासन व्यवस्थाओं को निर्धारित करते हैं।
 - एफआरबीएस, दलालों, कारपोरेट एजेंटों, वेब संग्राहकों, टीपीएस, आईएमएफएस, बीमा भंडारों, आईएसएनपी, कारपोरेट सर्वेक्षकों, एमआईएसपीएस, सीएससीएस सहित बीमा मध्यवर्ती तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबी) चालू वित्तीय वर्ष से उपर्युक्त दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे तथा इनका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- IRDAI vide Circular ref: IRDAI/GA&HR/GDL/MISC/88/04/2023 dated 24th Apr, 2023 has issued IRDA Guidelines on Information and Cyber Security for Regulated Entities.
 - In view of the evolving threat landscape, feedback received from the Industry & recommendations of various IRDAI committees, the revised Guidelines are hereby issued in order to enable the insurance industry to further strengthen their defenses as well as related governance mechanism to deal with emerging cyber threats.

3. The brief summary of the major changes in the guidelines are enclosed as Annexure – A.
4. The IRDAI Information and Cyber Security Guidelines, 2026 are attached as Annexure - B. These guidelines set out the minimum standards and governance mechanisms to be adopted by all Regulated Entities.
5. All Insurers including FRBs, Insurance Intermediaries covering Brokers, Corporate Agents, Web Aggregators, TPAs, IMFs, insurance Repositories, ISNP, Corporate Surveyors, MISPs, CSCs and the Insurance Information Bureau of India (IIB) shall strictly adhere to the said guidelines and ensure compliance from the current financial year.

हस्ता. / Sd/.

(ए आर नित्यानंथम / A. R. Nithiyanantham)
कार्यकारी निदेशक / ED (सा.प्र.&मा.सं./GA&HR)